VO. 14865

उत्तरकार शुक्रमाज्य से - 965%

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

2-4-04 REGD. NO. D. L.-33004/99

हमारी **तस्यव दित**रण पर

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY Po. 350

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)

cm. 30

PART II—Section 3—Sub-section (i)

100

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

220

ਲਂ. 148] No. 148]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2004/चैत्र 3, 1926 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2004/CHAITRA 3, 1926

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(भारतीय रिजर्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 6 मार्च, 2004

सं. फेमा. 112/2004-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2004

सा.का.नि. 208(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा 3 के खंड (घ), धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी, समय-समय पर यथासंशोधित, में संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा का उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :---

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएगी।
- (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. विनियमावली में संशोधन :--

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 के विनिमय 5 के उप विनियम (4) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा :

''बशर्ते कि यदि ऋण की राशि 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक होती है तो समुद्रपारीय उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता के पक्ष में भारत के बाहर के किसी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंक की गारंटी दी जाए।''

[फा. सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड-II]

श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th March, 2004

No. FEMA 112/2004-RB

Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2004

G.S.R. 208(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section 3 of Section 6 of Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of Notification No. FEMA 3/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000, namely:—

1. Short title and commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2004.
- (ii) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to the Regulations:—

In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000, for the proviso in sub-regulation 4 of regulation 5, the following proviso shall be substituted:

"Provided that where the amount of loan exceeds US \$ 100,000, a guarantee of a bank of international repute situated outside India is provided by the overseas borrower in favour of the lender."

[F. No.1/23/EC/2000-Vol. 1f]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director

अधिसूचना

मुम्बई, 6 मार्च, 2004

सं. फेमा. 113/2004-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2004

सा.का.नि. 209(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 9 के खंड (घ) और धारा 47 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000—आरबी, समय-समय पर यथासंशोधित, में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामत: :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :---

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) (संशोधन) विनियमावली, 2004 कहलाएगी।
- (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

2. विनियमावली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी करेंसी खाता) विनियमावली, 2000 की अनुसूची में पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ (iv) में ''3 मिलियन अमरीकी डॉलर से अनिधक'' शब्दों को निकाल दिया जाएगा।

[फा. सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड II] श्यामला गोपीनाथ, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 6th March, 2004

No. FEMA 113/2004-RB

Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2004

G.S.R. 209(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 9 and clause (e) of Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of Notification No. FEMA 10/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2000, namely:—

1. Short title and commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) (Amendment) Regulations, 2004.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulations:—

In the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2000 in sub-para (iv) of para 3 of the Schedule, the words "not exceeding US \$ 3 million" shall be deleted.

[F. No.1/23/EC/2000-Vol. II]

SHYAMALA GOPINATH, Executive Director